दैनिक जागरण
वाराणसी, गुरुवार
21 नवंबर, 2024
नगर संस्करण*****
मूल्य ₹ 7.00
पृष्ठ 18

पी.एम. श्री केन्द्रीय विद्यालय मऊ

शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन
डुमरांव, मऊ (उत्तर प्रदेश)
पिन.नं.-275101

नीलामी सूचना

पुरानी पुस्तकें/पुराना फर्नीचर/पुराना म्यूजिक उपकरण/पुराना आड्यिो विजुअल उपकरण/पुराना एस.यू.पी.डब्ल्यू सामग्री/पुराना भौतिकी प्रयोगशाला उपकरण इत्यादि के निपटारा हेतु निलामी

"जहाँ है जैसा है" के आधार पर पुरानी पुस्तकें/पुराना फर्नीचर/पुराना म्यूजिक उपकरण/पुराना आडियो विजुअल उपकरण/पुराना एस.यू.पी. डब्ल्यू सामग्री/पुराना भौतिकी प्रयोगशाला उपकरण इत्यादि के निपटारा हेतु निलाम के लिये बोली आमंत्रित निम्नलिखित नियम शर्तों पर आमंत्रित की जाती है।

1. उपर्युक्त वर्णित सामान पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय मऊ के प्रांगण में रखा गया है अतः इसको दिनांक 26.11.2024 से 28.11.2024 को 09.00 से 12.00 बजे के बीच देखा जा सकता है।
2. निविदा में कोई व्यक्ति या फर्म भाग ले सकती है।
3. बोली दिनांक 30.11.2024 को प्रातः 10.00 बजे से बोली जायेगी।
4. बोलीदाता अनुबंधित तारीख/समय व स्थान पर मदों को देख सकते हैं।
5. बोली लगाने से पूर्व न्यूनतम निर्धारित मूल्य का दस प्रतिशत सिक्युरिटी मनी के रूप में जमा करना होगा।
6. सबसे अधिक बोली लगाने वाले को मद बेंची जायेगी। आंशिक बोली किसी मामले में स्वीकृत नहीं होगी।
7. भारत सरकार के पर्यावरण और वन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार आईटी और टेलिकाम से संबंधित उपकरण जैसे कम्प्यूटर, प्रिंटर, इत्यादि के उचित निस्तारण बोली लगाने वाले का उत्तरदायित्व होगा। निविदाकार इस संबंध में समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार निपटान हेतु उत्तरदायी होंगे।
8. सफल बोलीदाता को पूर्ण भूगतांन पुष्टि होने के 2 दिन के भीतर करना होगा जो कि केन्द्रीय विद्यालय मऊ के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट/NEFT के रूप में होगा। ऐसा न होने पर बोली रद्द कर दी जायेगी।
9. इस विभाग द्वारा बोलीदाता को एक बार दिया गया कोई भी सामग्री किसी भी पारिस्थिति में वापस नहीं लिया जायेगा।
10. सफल बोलीदाता से अपेक्षित होगा कि बोली राशि के भुगतान के बाद 05 दिनों के भीतर सभी मदों को उठाना सुनिश्चित करेंगे। ऐसा न करने पर विभाग के पास उनकी संपूर्ण राशि जब्त करने का अधिकार होगा तथा मदें अन्य बोलीदाता को दे दी जायेगी। सफल बोलीदाता को निपटान वस्तुओं को उठाने के लिए वाहन, मजदूर इत्यादि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
11. बोलीदाता को बोली के साथ पते का प्रमाण (मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड) और पैन कार्ड की प्रति अवश्य संलग्न करनी होगी।

(डॉ.आर.के.भारती)
प्राचार्य

Ref.F.43029/KVM/2024-25 Dated: 11-11-2024